

20.09.2022:- प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने वादपत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। उपस्थित होकर वादपत्र वर्तमान स्तर पर विद्धा करवा लिया है। वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा की गई। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर

सत्यमेव जयते

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

